Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

ग्वालियर महानगर की दुष्कृत्य पीड़िताओं का मनो–सामाजिक वैयक्तिक अध्ययन

डॉ. राजेश कुमार सक्सेना
प्राध्यापक समाजशास्त्र
विजयाराजे शासकीय कन्या स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर

सारांश
यह अध्ययन ग्वालियर महानगर की दुष्कृत्य पीड़िताओं के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक पहलुओं को समझने हेतु किया गया। इसका उद्देश्य यह जानना था कि यौन हिंसा जैसी घटनाओं के पश्चात पीड़िताओं के मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवहार तथा आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन में विभिन्न आयु वर्गों और सामाजिक पृष्ठभूमियों की महिलाओं को शामिल किया गया तथा साक्षात्कार एवं प्रश्नावली विधि से आंकड़े संकलित किए गए। परिणामों से ज्ञात हुआ कि अधिकांश पीड़िताएँ गहन मानसिक आघात, भय, अपराध–बोध और सामाजिक अस्वीकार्यता की स्थिति से गुजरती हैं। उन्हें समाज द्वारा तिरस्कार और परिवार से उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका पुनर्स्थापन कठिन हो जाता है। हालांकि जिन पीड़िताओं को पारिवारिक सहयोग, परामर्श सेवाएँ और कानूनी सहायता मिली, उनमें मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास में अपेक्षाकृत सुधार देखा गया। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि दुष्कृत्य पीड़िताओं के पुनर्वास के लिए केवल न्यायिक व्यवस्था पर्याप्त नहीं हैय बल्कि उनके लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श, सामाजिक स्वीकृति और सामुदायिक सहयोग अनिवार्य है। इससे वे पुनः समाज में गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर सकती हैं।

मुख्य शब्दः दुष्कृत्य पीड़िताएँ, मनो–सामाजिक प्रभाव, पुनर्वास, सामाजिक भेदभाव

परिचय

भारत एक विकासशील देश है और विकसित देश की श्रेणी में शामिल होने के लिए अग्रसर है। आज 21वीं सदी में भारत आधुनिक कहे जाने वाले समाज की लगभग सारी विशेषताएं अपने अन्दर समाहित करता है परन्तु इन सब के बावजूद आज भी तत्कालीन भारतीय समाज में दुष्कृत्य एवं दुष्कृत्य पीड़ित महिलाओं के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति की स्वीकृति अत्यधिक देखने को मिलती है। कहीं कहीं यह नकारात्मक

अभिवृत्ति एवं मौनता अपने चरम पर दिखाई पड़ती है। कुछ गिने चुने लोगों एवं संस्थाओं द्वारा ही इस पर कार्य एवं चर्चा की जाती है, परन्तु सामान्य जीवन में दुष्कृत्य के सम्बन्ध में अधिकतर लोग मूक ही प्रतीत होते हैं। दुष्कृत्य को सभी अपराधों में सर्वाधिक अमानवीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुष्कृत्य के अपराध में सर्वाधिक हानि महिला दुष्कृत्य पीड़िता को उठानी पड़ती है। यह हानि न केवल शारीरिक, मानसिक होती है बल्कि यह पीड़िता के मानवाधिकारों का हनन करने वाली, पीड़िता की दैहिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भी छीनने वाली होती है। जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के अलावा पीड़िता को सर्वाधिक सामाजिक रूप से मानहानि उठानी पड़ती है। दुष्कृत्य व्यक्ति एवं समाज के विरुद्ध यौन हिंसा का एक हथियार है। दुष्कृत्य पीड़िता को इस अति कष्टकारी घटना से उबारने के लिए समाज का सहयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है परन्तु इसके बावजूद समाज की सकारात्मक अभिवृत्ति भी पीड़िता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। साहित्य का पुनरावलोकन वृहद् स्तर के साहित्यिक मूल्यांकनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति लगभग सभी समाजों में देखने को मिलती है, यहाँ तक कि इस नकारात्मक अभिवृत्ति में पीड़िता के परिवार के सदस्य, जीवनसाथी, मित्र एवं पड़ोसी भी शामिल होते हैं (कैमोबेल एहरैस, 2001)। दुष्कृत्य पीडिता के परिवार के सदस्यों की भी पीड़िता के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति इस कारण भी होती है क्योंकि दुष्कृत्य पीड़िता के परिवार के सदस्य स्वयं को दुष्कृत्य के दूसरे पीड़ित के रूप में महसूस करते हैं एवं इसका जिम्मेदार वे पीड़िता को समझते हैं। दुष्कृत्य पीड़िता के साथ–साथ पीड़िता के परिवार के सदस्यों को भी नकारात्मक अभिवृत्ति का सामना करना पड़ता है, इस प्रकार के नकारात्मक अभिवृत्तियों के कारण परिवार के सदस्य पीड़िता पर अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। ऐसी परिस्थितियों के चलते पीड़िता की दशा और भी खराब हो जाती है (बनीयार्ड, 2010)।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

दुष्कृत्य संबंधी मिथक, दुष्कृत्य के संबंध में एक प्रकार के विवरण हैं, साथ ही साथ व्यवहार करने के नियमों व विश्वासों की एक प्रथा है और इन प्रथाओं व नियमों के अंतर्गत दुष्कृत्य की घटना घटित होने के कारण परिणाम, अपराधी एवं पीड़िता के मध्य हुए संवाद भी शामिल होते हैं। इस प्रकार के मिथकों के प्रभावों में समाज की अभिवृत्ति पीड़िता के प्रति नकारात्मक हो जाती है जिससे पुरुषों द्वारा महिलाओं के विरुद्ध किये गए अपराधों को तर्कसंगत ठहराते हैं (बोह्नर, 1998)।

दुष्कृत्य को सभी देशों में अलग–अलग रूप से परिभाषित किया गया है, परन्तु सभी परिभाषाओं का सारांश लगभग एक ही निकलता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में सैद्धांतिक अवधारणात्मक रूपरेखा के अध्याय में दुष्कृत्य से संबंधित परिभाषाओं एवं अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या की गयी है। अतः हम यहाँ दुष्कृत्य एवं दुष्कृत्य संबंधी अभिवृत्तियों की कुछ परिभाषाओं पर ही दृष्टिपात करेंगे।

सामान्यतः दुष्कृत्य का अर्थ महिला के बिना सहमति के योनि/गुदा में, लिंग में प्रविष्ट कराने के रूप में परिभाषित किया जाता है, परन्तु दुष्कृत्य पीड़ित महिला दुष्कृत्य को अन्य नजरिये से देखती व परिभाषित करती है। दुष्कृत्य पीड़िता दुष्कृत्य को अपने भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों और परिणामों के रूप में परिभाषित करती है। नारीवादी लेखनों ने यह तर्क दिया है कि यौन हिंसा की व्यापकता लिंग असमानता के निर्माण में योगदान देती है और साथ ही दुष्कृत्य पीडिता या उन महिलाओं पर जो दुष्कृत्य से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हैं उन महिलाओं के मन में डर पैदा करती है, एवं दुष्कृत्य पुरुषों के प्रभुत्व की यथास्थिति का समर्थन करता है।

ब्राउनमिलर (1975) ने दुष्कृत्य को परिभाषित करते हुए कहा ष्दुष्कृत्य को एक ऐसी घटना के रूप में परभाषित किया जा सकता है, जिसमें निम्नतम सहमति को देखा जा सकता है। जिसके अंतर्गत पुरुष महिला पर अत्यधिक डर का इस्तेमाल उसके

विरुद्ध करता है और उसका शारीरिक एवं मानसिक शोषण करता है (ब्राउनमिलर, 1975)।

लिज केली के अनुसार (2008) ''दुष्कृत्य, व्यक्तिगत, अन्तरंग और मनोवैज्ञानिक सीमाओं का उल्लंघन है, मानव अधिकार की भाषा में दुष्कृत्य मानव गरिमा का हनन है।''

लोंग्स्वय एवं फित्ज्गेरल्ड (1994) ने दुष्कृत्य संबंधी मिथकों को परिभाषित करते हुए कहा कि ष्अभिवृत्ति व विश्वास सामान्यतः झूठे होते हैं इसके बावजूद यह व्यापक स्तर पर पाया जाता है, जो पुरुषों की महिला विरोधी आक्रमकता को सही साबित करता है। पुरुषों की तुलना में महिलायें दुष्कृत्य पीड़िता के प्रति अधिक अनुकूल अभिवृत्ति रखती हैं जो कि लिंग भेद को दर्शाता है (वार्ड, 1988)।

अभिवृत्ति का निर्माण सामाजिक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में जाना जाता है। जब से सामाजिक मनोविज्ञान विषय की शुरुवात हुई है, तब से ही अभिवृत्ति इसके मुख्य घटक के रूप में विद्यमान रहा है । वास्तव में सामाजिक मनोविज्ञान अभिवृत्ति के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है (कोर्सेनिक एवं अन्य,2005)।

दुष्कृत्य अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण प्रकृति का प्रतीत होता है। इसका संबंध में समाज में अत्यधिक चुप्पी, निषेध एवं कारण यह है कि दुष्कृत्य के भ्रांतियां व्याप्त है। इस अध्ययन के है कि इस सन्दर्भ में साहित्य की भारी कमी देखने को मिलती है और यदि यही अध्ययन भारत जैसे पारम्परिक समाज में किया जा रहा हो तो यह कमी अपने चरम पर देखने को मिलती है। दुष्कृत्य के संबंध में व्याप्त इस, निषेध चुप्पी एवं भ्रांतियों के कारण इस विषय पर आम जन की राय एवं अभिवृत्तियों का मापन करना अत्यधिक कठिन कार्य रहा है। खासकर दुष्कृत्य पीड़िता एवं दुष्कृत्य पीड़िता के परिवार के सदस्यों से साक्षात्कार करना सर्वाधिक दुरूह कार्य रहा है। सामाज की नकारात्मक अभिवृत्ति एवं समाज में व्याप्त दुष्कृत्य मिथकों के कारण पीड़िता एवं उसके परिवार के

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

सदस्य अत्यधिक अपमान, मानहानि एवं कलंकित हो जाने की भावना से ग्रसित रहते हैं, इस कारण आसानी से वे साक्षात्कार के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस कारण कुछ ही लोगों का साक्षात्कार किया जा सका है। इसके अलावा सामाज के लोगों की अभिवृत्ति के मापन के दौरान भी काफी लोगों द्वारा शर्म एवं असहजता महसूस करने के कारण साक्षात्कार अनुसूची भरने को तैयार नहीं हो रहे थे। अतः इस अध्ययन को करने के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रम, भ्रान्ति एवं अल्पज्ञता को दूर रखने के लिए इन सीमाओं के प्रकाश में ही इस अध्ययन को पूर्ण किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य –

किसी भी अनुसंधान के उद्देश्य अनुसंधान के प्रकार पर निर्भर करते हैं, अर्थात् यह अन्वेषी अनुसंधान है या व्याख्यात्मक अनुसंधान है या वर्णनात्मक अनुसंधान है। यंग के अनुसार सामाजिक शोध का उद्देश्य प्रयोगसिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना है (यंग, 1960:61)। प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य दुष्कृत्य के कारण पीढ़िता पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभावों की विवेचना करना है ग्वालियर महानगर के संदर्भ में विवेचना करना है।

शोध परिकल्पना –

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्न परिकल्ना इस प्रकार है कि दुष्कृत्य के कारण पीड़िता पर गंभीर मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक प्रभाव में सार्थकता दृष्टिगत होती है।

अध्ययन की सीमाएं –

प्रस्तुत अध्ययन ग्वालियर महानगर – मुरार, लश्कर एवं ग्वालियर परीक्षेत्र के अन्तर्गत तीन पीड़िताओं के व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी) पर आधारित है।

व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी – 1) –

यह अध्ययन 19 वर्षीय दुष्कृत्य पीड़िता मधुमति (परिर्वतित नाम) है। पीड़िता के साथ सामूहिक दुराचार किया गया था। पीड़िता के मामले की सुनवाई अभी भी लखनऊ

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

जिला न्यायालय में चल रही रही है। सुमन से मेरी पहली मुलाकात दिनांक 12/08/2018 को जिला न्यायालय के कोर्ट रूम में हुई थी। पीड़िता के पक्षकार से मित्रता होने के कारण मुझे यह अवसर मिला कि मैं दुष्कृत्य के केस के सुनवाई के दौरान वहाँ उपस्थित रह सकूं। मैं और पीड़िता के वकील पहले से ही कोर्ट रूम में आ चुके थे। हमारे वहाँ पहुचने से पहले ही दुष्कृत्य आरोपी रामहेत (परिर्वतित नाम) एवं अन्य दो दुष्कृत्य आरोपी कोर्ट रूम में पहले से ही बैठे हुये थे। रामहेत एवं अन्य दो आरोपी पेशे से ठेकेदार हैं। कोर्ट रूम में वह सफेद कुर्ता एवं काला चश्मा लगा कर बैठा था। आरोपी को देख कर लग रहा था कि उसे कोई अपराधबोध नही है । अपराधी लगातार अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। वह अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पीड़िता को कोर्ट रूम में न्यायाधीश के आने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया था। सुमन को जब कोर्ट रूम में प्रस्तुत किया गया तो पीड़िता ने अपने मुंह पर सफेद रंग का दुपट्टा बांध रखा था। पीड़िता की केवल आँखे दिख रही थी तथा वह आत्मग्लानि से भरी हुई थी और उसमें आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं था। न्यायाधीश ने पीड़िता को बयान देने के लिए कठघरे में आने को कहा। पीड़िता अत्यधिक डरी हुई थी वह बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी पीड़िता की माँ ने उसे साहस बंधाया न्यायाधीश ने भी कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है जो भी हुआ है साफ साफ बिना डरे कहो। पीड़िता से जब सवाल पूछा गया कि क्या हुआ था, किसने किया ? पीड़िता कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं थी। वह लगातार रो रही थी। पीड़िता के बयान देने के दौरान दुष्कृत्य आरोपी लगातार पीड़िता को घूर कर देख रहा था और पीड़िता के दिए गए हर बयान को गलत कहते हए बुदबुदा रहा था। विपक्ष के वकील द्वारा लगातार एक ही प्रश्न पूछा जा रहा था? तुमने रिपोर्ट कराने में देरी क्यों की? घटना के 15 दिन बाद रिपोर्ट क्यों कराई? पीड़िता सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत धीमी और दबी आवाज में दे रही थी।

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

प्रस्तुत व्यक्तिगत अध्ययन पीड़िता से फोन के माध्यम से किया गया है। बात करने से पूर्व, मैंने पीड़िता से अपने संबंध सहज करने के लिए मित्रता की सहानुभूति पूर्वक बातें की। पीड़िता से सबसे पहले यह प्रश्न पूछा कि क्या वह आरोपी को पहले से जानती थी? पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी को पहले से ही जानती थी लगभग एक वर्ष से वह आरोपी से कई बार मिल चुकी थी। आरोपी मजदूरी का कार्य करता था तथा पीड़िता के पिता मिस्त्री का कार्य आरोपी के साथ ही करते थे। पीड़िता ने बताया कि घर का कार्य करने के लिए अक्सर माता एवं पिता से कहता था। घर पर पैसों की तंगी होने के कारण आरोपी घर पर आर्थिक मदद कर देता था।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी का व्यवहार काफी अच्छा था। वह सभी का बहुत ख्याल रखता था, परन्तु एक दिन मुझे कहीं जाना था उसने कहा कि तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उन पर विश्वास करके उनके साथ जाने के लिये तैयार हो गई। वह मुझे अपने साथ लेकर चल दिये कुछ दूर चलने के बाद उन्हेंने मु झसे कहा कि मुझे पास में ही किसी व्यक्ति से मिलना है कुछ मिनिट रुक कर चलते हैं। वह मुझे एक गली में किसी के मकान पर ले गये तथा खुद अन्दर चला गया और मैं बाहर रुक गई। थोड़ी देर के बाद वो बोला अभी कुछ समय लगेगा बाहर गरमी है तुम अन्दर आकर बैठ जाओ और मैं उनकी बात मानकर उनके साथ अन्दर बने कमरे में चली गई। वहां जाकर मैंने जाकर देखा कि वहां पहले से ही दो व्यक्ति और बैठे थे। आरोपी ने मुझे वहीं मुझे बैठने के लिये कहा जब तक मैं बैठती या स्थितियों को समझ पाती तब तक अचानक उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और फिर कमरे के दरवाजा अन्दर से बन्द करके तीनों व्यक्तियों ने बारी–बारी से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये। मैं राती रही और चिल्लती रही परन्तु वह उस दुश्कर्म को करते रहे उसके बाद उन्होंने तीनों ने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी यही करेंगे, मैं बहुत डर गई थी परन्तु

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

जब मैं गर्भवती हुई तो मेरे घर वालों को यह बात पता चल गई जिसके परिणाम रूवरूप मुझे पूरी घटना अपने माता–पिता को बतानी पड़ी और फिर माता–पिता द्वारा पुलिस कार्यवाही की गई। पीड़िता ने यही भी बताया कि वह इस घटना के बाद घर से बाहर नहीं जाती, परिजन भी उससे सम्मानजनक रूप से बात नहीं करते वह हर समय मानसिक तनाव में रहती है तथा किसी भी पुरुष को देखकर के उसे घ्रणा होती है। सभी रिश्ते बनावटी दिखाई देते हैं।

व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी – 2) –

यह अध्ययन मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर में इलाज करा रही तराना (परिवर्तित नाम) पर आधारित है जो सामोहिक दुराचार का शिकार हुई। पीड़िता की आयु 21 वर्ष थी उक्त घटना के समय पीड़िता स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की छात्रा थी। पीड़िता ने अध्ययनकर्ता को बताया कि उसका सम्पर्क निकट के रिश्तेदार के यहां विवाह समारोह में मिले एक परिजन के बेटे से वर्ष 2023 में हुआ। सामान्य रूप से वर्तालाप के पश्चात् मैं अपने घर आ गई। कुछ समय के पश्चात् आरोपी ने मोबाइल पर उससे बात करना आरम्भ कर दिया और फिर वह यदाकदा घर आने लगा। घर के लोगों से क्योंकि रिश्तेदारी थी अतः परिवारजनों ने भी उस घटना को गम्भीरता से नहीं लिया। कुछ समय के बाद उसका परिवार मे आना, महाविद्यालय के गेट पर मिलना एक सामान्य बात हो गई थी। मैंने भी उससे मिलने–जुलने को सहजता से लिया। एक दिन मौसम खराब था और वह मुझे महाविद्यालय के बाहर मिला। घर पहुंचने की जल्दी के कारण उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ दूर चलने के पश्चात् दूसरी दिशा में मोड़ दिया और तेज गति से गाड़ि को चलाते हुये शहर की सीमा के बाहर एकान्त में लेजाकर गाड़ी रोक दी। उसकी गाड़ी के चारों गेट लॉक थे। अचानक उसने मुझे पीछे की सीट पर धकेल दिया और मेरे साथ गाड़ी में ही दुश्कर्म किया। मैं रोती और गिड़गिड़ाती। दुश्कर्म करने के बाद उसने गाड़ी

Kavya Setu
A Multidisciplinary Open Access, Peer-Reviewed Refereed Journal
Impact Factor: 6.4 ISSN No: 3049-4176

को मोड़ा और अपनी गाड़ी में रही पिस्तौल को दिखाते हुयें कहा कि तूने यह बात किसी को बताई तो तेरी ही बदनाकी होगी फिर भी अगर तू नहीं मानी तो मैं तेरे माता–पिता और तेरे छोटे भाई को जान से मार दूंगा। मैं बहुत डर गई थी परन्तु कुछ समय के पश्चात् जब मैं उदास रहने लगी और गर्भवती हो गई तो मेरे माता को इस बारे में जानकारी मिल गई उसके पश्चात् घर में कौहराम मच गया। पहले तो माता–पिता ने मुझे मारा–पीटा, मुराभला कहा परन्तु जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो आरोपी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही हुई। वर्तमान में आरोपी ग्वालियर सेन्ट्रल जेल में बन्द है। पीड़िता ने उक्त घटना से मानसिक आघात होने के कारण उसका इलाज मानसिक आरोग्य शाला में चल रहा है। वह अब किसी से भी नहीं मिलती विवाह से उसे नफरत हो गई है तथा वह अपने प्रति हुये इस कृत्य के लिये स्वयं को भी दोषी मानती है कि उसने किसी दूर के रिश्तेदार पर भाई की तरह भरोसा किया परन्तु उसके बदले में उसे यह घ्रणित कृत्य मिलां।

व्यक्तिगत अध्ययन (केस स्टडी–3) –

प्रस्तुत अध्ययन मुस्कान (परिवर्तित नाम) 15 वर्षीय बालिका का अध्ययन है। पीड़िता से व्यक्तिगत सम्पर्क करके एवं उसके परिजनों को विश्वास में लाने के पश्चात् उक्त घटना का अध्ययन किया गया है। परिजनों के बताया कि उनकी बालिका अकसर अपने घर के ही पास नाथूराम (परिवर्तित नाम) के घर उनकी बेटी के साथ खलेने अथवा पढ़ने के लिये कभी–कभी जाती थी क्योंकि दोनों ही एक ही स्कूल में एक ही कक्षा की छात्रा थी। अतः हमने भी उसे जाने की अनुमति दे रखी थी। एक दिन मुस्कान नाथूराम की बेटी सविता (परिवर्तित नाम) के मिलने की कह कर उसके घर गई और नाथूराम घर पर अकेला था उसने सविता के बारे में पूछा तो नाथू राम ने कहा कि सविता अन्दर के कमरे में है। मेरी बेटी अन्दर के कमरे में चली गई और पीछे से नाथू राम (आरोपी आ गया) जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। उसने मेरी बेटी को पलंग पर

पटक कर दरवाजा बन्द कर लिया। मुस्कान (पीड़िता) ने बताया कि वह बोली अंकल जी मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं आप ये क्या कर रहे हैं और मैंने उनके हाथ–पैर जोड़े और गिड़गिड़ाई कि मुझे घर जाने दो पर वे नहीं माने और उन्होंने पहले तो मुझे पीटा और फिर मेरे साथ गन्दा काम किया। मैंने उनसे कहा कि मैं यह बात अपनी मम्मी और आपकी बेटी सविता को बताऊंगी तो उसने कहा कि मैं तेरी मम्मी और अपनी बेटी सविता का गला बके से काट दूंगा। मैं बहुत डर गई थी और घर बापस आ गई। घर आकर में अपने कमरे में जाकर पलंग पर लेट गई मेरी माँ मुझे बुलाने किसी काम से जब मेरे पास आई तो उसने देखा कि मेरे कपड़े फटे थे और मेरा ट्राउजर खून से सना था। मेरी माँ ने घवराकर मुझसे पूछा तो मैंने रोते–रोते अपनी माँ को पूरी बात बताई इसी बीच मेरे पिता घर आ गये जब उन्हें भी यह बात पता चली तो वे गुस्से में चिल्लाते हुये नाथूराम के घर पहुंचे परन्तु नाथूराम घर पर नहीं मिला। मेरे पिता ने पुलिस में रिपोट दर्ज कराई और कुछ दिन के बाद नाथूराम पकड़ा गया। आज नाथूराम ग्वालियर सेन्ट्रल जेल में बन्द है। मुस्कान ने बताया कि इस घटना के बाद उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। सिर में दर्द रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता वह घर से बाहर कहीं आती–जाती नहीं है। उसके मम्मी–पापा का व्यवहार उसके प्रति अच्छा है वह इसे अचानक घटित हुई घटना बतलाते हुये उसको सम्बल प्रदान करते हैं तथा भविष्य के बारे में सजक करते रहते हैं।

अतः उक्त तीनों व्यक्तिगत अध्ययनों (केस स्टडी) से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दुष्कृत्य जैसा घ्रणित कृत्य करने वाला व्यक्ति पहले से ही परिचित होता है तथा वह इस कृत्य को करने के लिये विभिन्न प्रकर के प्रपंच रचता है तथा बिना किसी परिणाम की परवाह करते हुये उक्त कृत्य को कर बैठता है जिससे ना केवल आरोपी की सामाजिक छवि खराब होती है बल्कि यह कठोर दण्ड का भगी भी बनता है जबकि इसके विपरीत पीड़िता की मानसिक एवं शारीरिक दशाओं पर प्रत्यक्ष रूप से गम्भीर

प्रभाव तो पड़ता ही है साथ ही साथ उसके परिजनों के सामाजिक प्रतिष्ठा भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है।

संदर्भ

1. मिश्रा उर्मिला, 1987, प्राचीन भारत में नारी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।
2. महाजन ओ. पी., 1984, सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एंव साख्यिकी, शिक्षा साहित्य प्रकाशन, मेरठ।
3. मदान जी. आर., 1992, भारतीय सामाजिक समस्यायें, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. आहूजा राम, 2012, अपराध एवं समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।